[जून 01, 2007 के ए.पी.(डीआइआर सिरी I परिपत्र सं.68 का संलग्नक.]

ओडीआइ सू ाना प्रणाली

संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में प्रत्यक्ष निवेश ाावक प्रेषणों का अनुमोदन/ रिपोर्टिंग

फार्म ओडीआइ भरने के लिए अनुदेश

(आवेदक इस भाग को अलग करके अपने पास रखें)

फार्मों का यह सेट भारतीय पार्टियों द्वारा समुद्रपारीय निवेशों से संबंधित मूल सू ाना को प्राप्त करने का प्रयास करता है (समय-समय पर यथासंशोधित ाुलाई 7, 2004 की अधिसू ाना फेमा 120/आरबी-2004 में यथापरिभाषित)।

- भाग I में संयुक्त उद्यमों/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों, भारतीय पार्टियों और समुद्रपारीय कंपनियों की वित्तपोषण प्रणाली के ब्योरे हैं।
- भाग II प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा प्रमाणित प्रेषणों की रिपोर्टिंग करता है।
- भाग III वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट है ि ासमें समुद्रपारीय कंपनियों के कार्य निष्पादन के संक्षिप्त ब्योरे हैं तथा
- भाग IV का उपयोग विनिवेश/ परिसमापन/बंद करने के समय किया ााना है।

भाग I का खण्ड ई विवे ानात्मक है क्योंकि इसमें स्वामित्व संर ाना और वित्तीय प्रणाली के संबंध में सू ानाएं शामिल की गई हैं। इसके अलावे भारत से प्रेषणों के ब्योरों के अतिरिक्त भाग I एसपीवी/ समुद्रपारीय सहायक संस्थाओं, विदेशी भागीदारों के शेयर, इत्यादी के माध्यम से निधियन के पूरे ब्योरे रिपोर्ट अवश्य करें।

(1) फार्म के भाग I (खण्ड इ को छोड़कर) को स्वतः अनुमोदित मार्ग अथवा अनुमोदन मार्ग के तहत समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियां में निवेश की अनुमति ााहनेवाले भारतीय पार्टी द्वारा भरा ााना और नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक को ामा किया ााना है। विस्तार, विलयन, अतिरिक्त पूं ाी लगाने के रूप में प्राथमिक प्रेषण/ अनुमोदन के परिवर्तन के समय ाब कभी संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों के प्रारंभिक पूं ाी अथवा वित्तीय संर ाना की रिपोर्टिंग भारतीय रिज़र्व बैंक को की ााती है, भाग I (खण्ड इ और ई) प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(2) स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत नये प्रस्ताव के मामलों में, प्रेषण करने के तुरंत बाद नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक फार्म के भाग II के साथ भाग I, विशिष्ट पह ाान संख्या प्राप्त करने के लिए मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, समुद्रपारीय निवेश प्रभाग, अमर भवन, मुंबई 400001 को भे ों।

(3) अनुमोदन मार्ग के तहत ां ा पड़ताल के बाद फार्म का भाग I प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक द्वारा उनके सिफारिशों के साथ उपर्युक्त पते पर रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया ाए। अनुमोदित होने पर फार्म का भाग I प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक को लौटा दिया ाएगा और प्रेषण के तुरंत बाद प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक द्वारा उसे फार्म के भाग II के साथ उपर्युक्त पते पर रिज़र्व बैंक को पुनः प्रस्तुत किया ाना ाहिए।

(4) अनुपूरक प्रेषणों के संबंध में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक फार्म का केवल भाग II पूरी तरह भरकर रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करे। फिर भी, यदि संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के पूं ाी संर ाना/ वित्तपोषण प्रणाली में प्राथमिक निवेश के रिपोर्टिंग के बाद कोई परिवर्तन हुआ है तो फार्म के भाग I (खण्ड अ और आ को छोड़कर) को भाग II के साथ प्रस्तुत करने की ारूरत है।

(5) एक ही संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में एक से अधिक भारतीय प्रवर्तकों द्वारा निवेश के मामले में संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के लिए नामित प्राधिकृत व्यापारी ऐसे प्रत्येक प्रवर्तक के ब्योरे एकल फार्मेट में दें।

(6) वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट (भाग III) उपर्युक्त पते पर संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के अस्तित्व में बने रहने तक प्रत्येक वर्ष उनके वार्षिक खाताबन्दी के तीन महीने के अंदर नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के माध्यम से प्रस्तुत की ानी ाहिए।

(7) विदेशी मुद्रा और भारतीय रुपये की सभी राशियां **मात्र हज़ार** में होनी ाहिए।

(8) ाब संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों की बंदी/समापन/विनिवेश/ परिसमापन आदि होता है तो उपर्युक्त पते पर विनिवेश के 30 दिनों के अंदर फार्म के भाग IV में इसकी रिपोर्ट रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की ाए।

(9) यहां प्रस्तुत सू ाना को पब्लिक डोमेइन में रखने का अधिकार रिज़र्व बैंक के पास सुरक्षित है।

रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदन के लिए, भाग I के साथ निम्नलिखित दस्तावे ा प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

(क) भारतीय पार्टी के बैंकरों से प्राप्त रिपोर्ट मुहर बंद/ बंद लिफाफे में।

(ख) अद्यतन वार्षिक लेखे, अर्थात् निदेशकों की रिपोर्ट के साथ भारतीय पार्टी के तुलनपत्र और लाभ-हानि खाते।

(ग) निम्नानुसार अतिरिक्त दस्तावे ा, यदि वर्तमान विदेशी कंपनी को आंशिक/पूर्ण रूप से लेने के लिए आवेदन प्रस्तुत किए ाते हैं।

(i) विदेशी कंपनी के निगमन के प्रमाणपत्र की एक प्रति;

(ii) अद्यतन वार्षिक लेखे अर्थात् निदेशकों के रिपोर्ट के साथ विदेशी कंपनी के तुलनपत्र और लाभ हानि खाते; तथा

(iii) निम्नलिखित से प्राप्त शेयर मूल्यांकन प्रमाणपत्र की एक प्रति :

- सेबी के पास पं ीकृत श्रेणी I म ेंट बैंकर्स अथवा मेज़बान देश में उ ित नियामक प्राधिकरण के पास पं ीकृत किसी निवेश बैंकर म ेंट बैंकर, हां निवेश 5 मिलियन अमरीकी डॉलर (पां मिलियन अमरीकी डॉलर) से अधिक है, तथा
- अन्य सभी मामलों में सनदी लेखाकार अथवा अधिप्रमाणित सरकारी लेखाकार द्वारा

(घ) प्रस्तावित निवेश को अनुमोदित करनेवाली भारतीय पार्टी/पार्टियों के निदेशक मण्डल के संकल्प की एक प्रमाणित प्रति।

(ङ) वित्तीय सेवा क्षेत्र में निवेश के मामले में निम्नलिखित आशय का सांविधिक लेखापरीक्षक/ सनदी लेखाकार से प्राप्त एक प्रमाणपत्र कि भारतीय पार्टी :

(i) ने वित्तीय सेवा कार्यकलापों से पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निवल लाभ प्राप्त किया है

(ii) वित्तीय सेवा कार्यकलाप करने के लिए भारत में उ ित नियामक प्राधिकरण के पास पं ीकृत है

(iii) भारत और विदेश में संबंधित नियामक प्राधिकरण से विदेश में वित्तीय क्षेत्र कार्यकलापों में निवेश के लिए अनुमोदन प्राप्त किया ाए।

(iv) भारत में संबंधित नियामक प्राधिकरण द्वारा यथानिर्धारित पूं ी पर्याप्तता से संबंधित विवेकपूर्ण मानदण्डों को पूरा किया है।

समुद्रपारीय निवेश - स्वामित्ववाली प्रतिष्ठान/ गैर पं ीकृत भागीदारी फर्म्स

मा 27, 2006 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.29 के पैरा 4 के अनुसार पात्र स्वामित्ववाले प्रतिष्ठान/ गैर पं ीकृत भागीदारी फर्म अपने प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के माध्यम से फार्म ओडीआइ के भाग I में उनकी सिफारिशों के साथ मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, समुद्रपारीय निवेश प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय, अमर भवन, फोर्ट, मुंबई 400001 को आवेदन करें।

फार्म ओडीआइ

भाग I

<u>केवल कार्यालय के उपयोग के लिए</u>

प्राप्ति की तारीख. . . . .

आवक सं. . . . .

<u>खण्ड अ : भारतीय पार्टी के ब्योरे</u>

(I) (i) स्वतः अनुमोदित मार्ग ☐ (ii) अनुमोदन मार्ग ☐ के अंतर्गत निवेश

(अगर एक से याादा भारतीय पार्टी हो तो प्रत्येक पार्टी के लिए अलग शीट पर सू ाना दी ााए)

(II) भारतीय पार्टी का नाम ☐

(III) भारतीय पार्टी का पता ☐

शहर ☐ रा य ☐ पिन ☐

(IV) संपर्की ☐ पदनाम ☐

टेलीफोन सं. ☐ फैक्स ☐

(V) भारतीय पार्टी का हैसियत :(कृपया योग्य श्रेणी पर टिक लगाएं)

(1) पब्लिक लिमिटेड कंपनी ☐ (2) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ☐

(3) सार्व ानिक क्षेत्र उपक्रम ☐ (4) पं ाीकृत भागीदारी ☐

(5) स्वामित्व ☐ (6) अपं ाीकृत भागीदारी ☐

(7) ट्रस्ट ☐ (8) सोसायटी ☐

(9) अन्य ☐

(VI) भारतीय पार्टी का कार्यकलाप कूट* ☐

*3-डि ाट स्तर पर एनआइसी कूट

[अगर भारतीय पार्टी वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत हो अथवा स्वामित्व, गैर-पं ीकृत भागीदारी अथवा वित्तीय क्षेत्र श्रेणी में आता हो तो नी े मद VII में ब्योरे दिए ाएं]।

(VII) भारतीय पार्टी के पिछले 3 वर्ष के वित्तीय ब्योरे

(रु.000 में राशि)

ब्योरे	वर्ष 1 31-3-	वर्ष 2 31-3-	वर्ष 3 31-3-
विदेशी मुद्रा अ नि (संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी को ईक्विटी निर्यात से इतर)			
निवल लाभ			
प्रदत्त पूं ी			
(क) भारतीय पार्टी			
(ख) कंपनी समूह@ की निवल मालियत			

@ ुलाई 7, 2004 की अधिसू ना सं.फेमा 120/आरबी-2004 के विनियम 6(3) के स्पष्टीकरण के अनुसार

(VIII)भारतीय पार्टी और उसके समूह के कंपनियों के मौ ूदा संयुक्त उद्यम और पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों, ो पहले से परि ालन में हैं अथवा कार्यान्वित हो रहे हैं, के ब्योरे :

क्रम सं.	भारतीय पार्टी का नाम	रिज़र्व बैंक द्वारा आबंटित विशिष्ट पह ान सं.
1.		
2.		
3.		

(IX) क्या प्रस्तावित निवेश (योग्य बॉक्स में टिक लगाएं)

(क) नयी परियो ना है ☐ (कृपया खण्ड आ में ब्योरे दें)

(ख) वर्तमान परियो ना है* ☐ (कृपया खण्ड इ में ब्योरे दें)

*भारतीय पार्टी द्वारा प्रवर्तित मौ ूदा समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में स्टेक का अधिग्रहण

खण्ड आ : नयी परियो ाना में निवेश के ब्योरे

केवल रिज़र्व बैंक के उपयोग के लिए विशिष्ट पह ाान सं.												

(I) निवेश का प्रयो ान (कृपया योग्य श्रेणी में टिक लगाएं)

(क) संयुक्त उद्यम में भागीदारी (ख) पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में अंशदान

(ग) विदेशी कंपनी का पूर्ण अधिग्रहण

(घ) विदेशी कंपनी का आंशिक अधिग्रहण

(ङ) अनिगमित कंपनी में निवेश

(ा) अन्य

(II) संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के ब्योरे

(क) संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी का नाम

(ख)संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी का पता

(ग) देश का नाम

(घ) ई-मेल

(ङ) संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी का लेखा वर्ष

(III) संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी का कार्यकलाप कूट

(IV) क्या संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी एसपीवी है? (हां/नहीं) *

अगर हां, तो खण्ड ई में ब्योरे दें

प्रस्तावित पूं ाी संर ाना

	[क] भारतीय पार्टी/पार्टियां	% स्टेक		[ख] विदेशी भागीदार	% स्टेक
(1)			(1)		
(2)			(2)		
(3)			(3)		

खण्ड इ : मौ ूदा परियो ाना में निवेश के ब्योरे

केवल रिज़र्व बैंक के उपयोग के लिए **विशिष्ट पह ाान सं.**												

(I) अनुपूरक निवेश का प्रयो ान (योग्य श्रेणी पर टिक करें)

(क) मौ ूदा समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में ईक्विटी में द्धि

(ख) अधिमान ईक्विटी/परिवर्तनीय ऋण में वृद्धि

(ग) मौ ूदा संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में ऋण मं ूरी/वृद्धि

(घ) गारंटियों का विस्तार/ वृद्धि

(ङ) अनिगमित कंपनी को प्रेषण

(ा) अन्य

(II) पूं ाी संर ाना

	[क] भारतीय पार्टी/पार्टियां	% स्टेक		[ख] विदेशी भागीदार	% स्टेक
(1)			(1)		
(2)			(2)		
(3)			(3)		

भाग ई - संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के लिए वित्तपोषण

(राशि एफसीवाय 000 में)

I समुद्रपारीय अधिग्रहण का पूर्ण मूल्य

II भारतीय पाटी के लिए समुद्रपारीय अधिग्रहण की आनुमानिक कीमत

III वित्तीय प्रतिबद्धता* (लागू एफसीवाय में): एफवायसी राशि

IV भारतीय पार्टी द्वारा निवेश की पद्धति

- (i) नकदी प्रेषण
- (क) विदेशी मुद्रा अ कि विदेशी मुद्रा
- (ख) बाज़ार खरीद
- (ii) निम्नलिखित का पूं ीकरण
- (क) संयंत्र और मशीनरी का निर्यात
- (ख) अन्य (कृपया स्पष्ट करें)
- (iii) एडीआर/ ीडीआर (समुद्रपार में उगाही गई)
- (iv) बाह्य वाणि यक उधार/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड
- (v) शेयरों का स्वैप
- (vi) अन्य (कृपया उल्लेख करें)

कुल अ [भारतीय पार्टी]

V. क्या संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी एसपीवी है (हां/नहीं)

- (क) अगर हां, तो एसपीवी का प्रयो न
- i) समुद्रपारीय अधिग्रहण का पूर्ण मूल्य
- ii) एसपीवी द्वारा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष इन्फ्यूशन
- iii) भारतीय पार्टी से गारंटी/ प्रति गारंटी के साथ समुद्रपार में उगाही निधियां
- iv) भारतीय पार्टी से गारंटी/ प्रति गारंटी के बिना समुद्रपार में उगाही निधियां
- v) विदेशी निवेशकों द्वारा ईक्विटी/अधिमान ईक्विटी/ शेयरधारक के ऋण के रूप में अंशदान की गई निधियां
- vi) प्रतिभूतिकरण (सेक्यूरिटाइसेशन)
- vii) अन्य किसी रूप में (कृपया उल्लेख करें)

VI. गारंटियां/अन्य गैर-निधि आधारित प्रतिबद्धताएं

टिप्पणी* : ुलाई 7, 2004 की फेमा 120/आरबी-2004 खण्ड 2(ा) में यथापरिभाषित वित्तीय प्रतिबद्धता - वित्तीय प्रतिबद्धता का अर्थ ईक्विटी, ऋण के रूप में प्रत्यक्ष निवेश की राशि और भारतीय पार्टी द्वारा अपने समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम कंपनी अथवा पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी को अथवा उनकी ओर से ारी गारंटी राशि का 100 प्रतिशत।

भाग उ : भारतीय पार्टी द्वारा घोषणा

I(क) क्या आवेदक पार्टी(पार्टियां), उसके प्रवर्तक, निदेशक, आदि किसी ां ा/ प्रवर्तन ए ेंसी अथवा विनियामक निकाय द्वारा ां ा के अधीन है? अगर हां, तो छानबीन अधिनिर्णय के वर्तमान ारण/ मामले के निपटान का ंग सहित उसके संक्षिप्त ब्योरे।

____

____

(ख) क्या प्रवर्तक भारतीय पार्टी(पार्टियां) वर्तमान में निर्यात प्राप्यों की वसूली न होने की व ाह से रिज़र्व बैंक की निर्यातकों की सतर्कता सू ी में है अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा परि ालित बैंकिंग प्रणाली के ूककर्ताओं की सू ी में है/हैं? अगर हां, तो भारतीय पार्टी(पार्टियों) की हैसियतः

____

____

(ग) प्रस्तावित कंपनी को स्थापित/अधिगृहीत करने के लिए मेज़बान देश में उपलब्ध कोई विशेष लाभ/ प्रोत्साहन सहित इस प्रस्ताव से संबधित कोई अन्य सू ाना।

____

____

मैं/हम प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि ऊपर दी गई ाानकारी सत्य और सही है।

____

(प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर)

स्थान : _______________

दिनांकः _______________ मुहर/मुद्रा नाम : _________________________

पदनाम : ______________________

संलग्नकों की सू ी :

1. 4.
2. 5.
3. 6.

खण्ड ऊ : भारतीय पार्टी के सांविधिक लेखाकार का प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया ाता है कि समय-समय पर यथासंशोधित ुलाई 7, 2004 की अधिसू ाना सं. फेमा 120/आरबी-2004 (विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004) में निहित शर्तों का रिपोर्ट किए ा रहे निवेश के संबंध में भारतीय पार्टी ने अनुपालन किया है। विशेष रूप से यह प्रमाणित किया ाता है कि :

(i) निवेश भूमि भवन उनमुख अथवा बैंकिंग कारोबार में नहीं है, और

(ii) पहले किए गए समुद्रपारीय निवेश और निर्यात और पूं ीकृत अन्य देय/ शेयरों का स्वैप/ स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत विदेश में निवेश के लिए बाह्य वाणि यक उधार विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड शेष के साथ निवेश के प्रेषण के लिए प्रस्तावित विदेशी मुद्रा खरीद की राशि रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित सीमाओं के अधीन है। इसकी अंतिम लेखापरीक्षित तुलनपत्र की तारीख अर्थात् . . . . . को भारतीय पार्टी की निवल मालियत के संदर्भ में सत्यापन किया गया है।

(iii) निवेश के लिए निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन किया गया है।

(iv) बाह्य वाणि यक उधार के मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन किया गया है।

(v) भारतीय पार्टी ने (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तीय सेवा कार्यकलाप से निवल लाभ प्राप्त किए हैं, (ख) भारत के विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पूं ी पर्याप्तता के विवेकपूर्ण मानदण्डों को पूरा किया है, (ग) वित्तीय सेवा कार्यकलाप करने के लिए भारत में उपर्युक्त विनियामक प्राधिकरण के पास पं ीकरण किया गया है और (घ) भारत और विदेश में संबंधित विनियामक प्राधिकरणों से वित्तीय सेवा क्षेत्र कार्यकलापों में निवेश के लिए अनुमोदन प्राप्त किया है*।

टिप्पणी : *केवल वित्तीय सेवा क्षेत्र में निवेश के मामलों में लागू (उदा. बीमा, म्यू ुअल फण्ड, परिसंपत्ति प्रबंधन, आदि)

बाह्य वाणि यक उधार/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड शेषों के माध्यम से निवेश के निधीयन के मामलों में लागू।

(कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के हस्ताक्षर)
फर्म का नाम, मुहर और पं ीकरण सं.

भाग II

विप्रेषणों की रिपोर्टिंग

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

प्राप्ति की तारीख ---------

आवक सं. ---------

वर्तमान संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में निवेश के मामले में कृपया पहले से आबंटित विशिष्ट पह ाान सं. लिखें :

(I) भारतीय कंपनी का नाम

(II) क्या, पिछले रिपोर्टिंग के बाद कंपनी के नाम में कोई परिवर्तन हुआ है? (हां/नहीं)

अगर हां, तो कंपनी का पुराना नाम

किए गए वर्तमान विप्रेषणों के ब्योरे

(राशि एफसीवाय के 000 में)

रिपोर्टिंग प्राधिकृत व्यापारी का कोड		विदेशी मुद्रा**	
(क) विदेशी मुद्रा अ कि विदेशी मुद्रा खाते से			
ईक्विटी	ऋण	गारंटी (इन्वोक्ड)	विप्रेषण की तारीख
(ख) बाज़ार खरीद द्वारा			
ईक्विटी	ऋण	गारंटी (इन्वोक्ड)	विप्रेषण की तारीख
(ग) एडीआर/ ाीडीआर निधियों से			
ईक्विटी	ऋण	गारंटी (इन्वोक्ड)	विप्रेषण की तारीख
(घ) शेयरों के स्वैप द्वारा			
ईक्विटी	ऋण	गारंटी (इन्वोक्ड)	स्वैप की तारीख
		XXXX	

(ङ) भारत में/भारत के बाहर रखे गए बाह्य वाणि यक उधार/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड शेषों से			
ईक्विटी	ऋण	गारंटी (इन्वोक्ड)	लेनदेन की तारीख
(ा) निर्यात/अन्य प्राप्यों का पूं ीकरण@			
पूं ीकरण की तारीखः		राशि :	
(छ) ारी की गई गारंटी : दिनांक (नया/विस्तारित वर्तमान गारंटी अवधि)		राशि :	
वैधता अवधि			

टिप्पणी : ** कृपया एसडब्ल्यूआइएफटी कोड के अनुसार विदेशी मुद्रा का नाम दर्शाएं।

@ कृपया पूं ीकृत किए ा रहे अन्य प्राप्यों अर्थात् रॉयल्टी, तकनीकी ानकारी शुल्क, परामर्शी शुल्क, आदि का उल्लेख करें।

हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि विप्रेषण
(ो लागू न हो उसे काट दें)

i) निर्धारित शर्तों की भारतीय पार्टी द्वारा अनुपालन की पुष्टि करते हुए सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र के आधार पर स्वतः अनुमोदित मार्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है;

ii) रिज़र्व बैंक द्वारा ारी अनुमोदन पत्र के शर्तों के अनुसार है; तथा

iii) इस बात से संतुष्ट होने के कि दावा, विदेश में संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी को/की ओर से ारी गारंटी के शर्तों के अनुपालन में है, इन्वोक्ड गारंटी विप्रेषण के संबंध में विप्रेषण किया गया है।

स्थान
दिनांकः

मुहर/मुद्रा

(बैंक के प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर)

नाम :
पदनाम :
टेलीफोन सं. :
फैक्स सं. :

भाग III

वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट (एपीआर)

(ाब तक संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी अस्तित्व में है, प्रति वर्ष संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के वार्षिक लेखाबंदी के तीन महीने के अंदर सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित कराके नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के माध्यम से प्रेषित किया ााए)

I. वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट (एपीआर) की तारीख : ___________________

II. विशिष्ट पह ाान सं. :

(कृपया भारिबैंक द्वारा ाारी 13 अंकोंवाली विशिष्ट पह ाान संख्या लिखें)

III. पिछले रिपोर्ट के बाद पूं ाी संर ाना में परिवर्तन

	राशि (नयी)	प्रतिशत शेयर (नया)
भारतीय		
विदेशी		

IV. पिछले दो वर्षों के लिए संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के परि ाालनात्मक ब्योरे

(राशि 000 विदेशी मुद्रा में)

	पिछला वर्ष	ाालू वर्ष
i) निवल लाभ/ (हानि)		
ii) लाभांश		
iii) निवल मालियन		

V. संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी से प्रत्यावर्तन

संयुक्त उद्यमों और पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों से विदेशी मुद्रा अ ानि

	.. .. को समाप्त पिछले वर्ष के दौरान	कारोबार की शुरुवात से
(i) लाभ		
(ii) लाभांश		
(iii) प्रतिधारित अ ानि*		
(iv) भारत में निवेश		
(v) अन्य**(कृपया उल्लेख करें)		

* (संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी के लाभ के अंश ाो प्रतिधारित हैं और ािनका संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी में पुनः निवेश किया गया है, को दर्शाता है)

**(रॉयल्टी, तकनीकी ाानकारी शुल्क, परामर्शी शुल्क, आदि)

VI. पिछले रिपोर्टिंग से स्टेप डाउन सहायक कंपनियों में निवेश

देश	
संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी का नाम	
निवेश की राशि	

स्थान : _______________ (प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर)

दिनांकः _______________ **मुहर/मुद्रा** नाम : ______________________

पदनाम : ___________________

(कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के हस्ताक्षर)
फर्म का नाम, मुहर और पं ीकरण सं.

बैंक के प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

भारतीय निवासियों द्वारा समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश के लिए संशोधित सू ाना प्रणाली

वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार समुद्रपारीय निवेशों के संबंध में एक संशोधित सू ाना प्रणाली की रूपरेखा को तत्काल प्रभाव से लागू किया ा रहा है। परिपत्र और सू ाना देने के फार्मेट हमारे वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध हैं।

सू ाना प्रणाली की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं :

- मौजूदा छः फार्मेटों का स्थान एक एकल आवेदन-व-सू ाना देनेवाला फार्म ले रहा है।
- समुद्रपार में अधिग्रहणों की लागत पर एक व्यापक कवरे और वित्तपोषण की पद्धति आंकड़ों का एक भाग हैं।
- सरलीकृत वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्टिंग - वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति से छूट दी गई है।
- विनिवेश/ परिसमापन, आदि की सू ाना प्राप्त करने के लिए एक नया फार्मेट शुरू किया गया है।

प्रणाली के स्थिर होने और प्रस्तुति की शुद्धता और समायोि कता में सुधार होने पर ऑन-लाइन रिपोर्टिंग शुरू की ाएगी।

अल्पना किल्लावाला
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस विज्ञप्ति : 2006-07/________